Indian J.Soc & Pol. 03(03):2016:95-96 **ISSN 2348-0084 (PRINT)**
(Special Print Issue: September, 2016) **ISSN 2455-2127(ONLINE)**

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन में राजा पर नियन्त्रण
(मनु, कौटिल्य एवं महर्षि वेदव्यास के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन)

सीताराम सैनी[1]
[1]अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग,सेठ जी.बी. पोदार कॉलेज,नवलगढ़,राजस्थान, भारत

ABSTRACT

मनु, कौटिल्य व महर्षि वेदव्यास तीनों ही विचारकों ने राजकीय शक्ति को प्रजा के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के व्यापक उद्देश्य के लिये प्रयुक्त किया जाना उचित मानते है। तीनों ही विचारकों ने राजकीय शक्ति के मर्यादित और प्रयोजन पूर्ण संव्यवहार की आवश्यकता पर बल दिया है। मनुस्मृति, अर्थशास्त्र व महाभारत तीनों ही ग्रन्थों में राजकीय शक्ति को राजा की व्यक्तिगत शक्ति के रूप में नहीं, अपितु एक संस्थागत प्रणाली के रूप में व्यक्त किया गया है। तीनों ही ग्रन्थों में इस बात पर बल दिया गया कि राजा राजकीय कार्यों का निष्पादन अकेला ही नहीं कर सकता। भारतीय आचार्यों ने यह प्रस्थापित किया कि राजकीय रूप में संस्थागत व्यवस्था हो तथा राज्य के मन्तव्यों को मूर्त–रूप देने के लिये राज्य के पास संसाधनों और समुचित सुरक्षात्मकढांचे की व्यवस्था हो।तीनों ही ग्रन्थों में "व्यक्ति के शासन" की अपेक्षा "विधि के शासन" के विचार को प्रतिष्ठित किया गया है। अर्थशास्त्र व महाभारत में शासकीय शक्ति पर संस्थागत व सैदान्तिक नियन्त्रणों के साथ–साथ जनमत व जनता का प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।

***KEY WORDS:** भारतीय राजनीतिक चिंतन, मनु, कौटिल्य, वेदव्यास, राज्य, राजा*

प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में राजा की शक्ति को मर्यादित करने के लिए सैद्धान्तिक संस्थागत व व्यावहारिक सभी उपागमों को महत्वपूर्ण माना गया है। मनुस्मृति, महाभारत व अर्थशास्त्र तीनों ही ग्रन्थों में शासक को नीति व धर्म से निर्दिष्ट रहते हुए ही अपने राजनीतिक दायित्वों के निष्पादन के लिए दायित्वप्रदान किया गया है। शासकीय शक्ति को नीति व धर्म के अधीनस्थ बताकर, भारतीय ग्रन्थों में शासकीय शक्ति के संव्यवहार की वैधता के परीक्षण के सार्वभौम और शाश्वत आधारों का अभिज्ञान किया गया है, तथा वह रेखांकित किया गया है कि नीति व धर्म के शाश्वत सिद्धान्तों के प्रतिकुल होने पर, राजकीय आदेशों की वैधता संदिग्ध रहती है। वह ध्यान देने योग्य है कि धर्म के राजसत्ता पर नियन्त्रण की प्रकृति के विषय में मनुस्मृति के विचार अर्थशास्त्र व महाभारत में प्रतिपादित विचारों से किंचित भिन्न है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और महाभारत में धर्म की व्याख्या को सामान्यतः राज्य के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं माना गया। दोनों ही ग्रन्थों में धर्म के कतिपय वस्तुनिष्ठ, शाश्वत व सार्वभौम सिद्धान्तों का अभिज्ञान किया गया है, जिनसे राजकीय आचरण का निर्दिष्ट होना अनिवार्य माना गया है। मनुस्मृति धर्म की व्याख्या के लिए सामान्यतः राज्य के प्राधिकृत करती हैं इस प्रकार सैद्धान्तिक दृष्टि से यह प्रस्थापित करते हुए भी, कि राजा नीति व धर्म के अधीन रहते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, मनुस्मृति ने धर्म के ऐसे सार्वभौम मापदण्डों को स्पष्टः प्रतिपादित नही किया, जो कि राजकीय व्याख्या से स्वतन्त्र रहकर, राजकीय आदेशों की वैधता के मापदण्ड माने जा सके। इस प्रकार मनु ने सामान्यतः राजकीय आदेशों की अक्षुण्यता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जबकि अर्थशास्त्र और महाभारत यह स्पष्ट परामर्श देते है कि यदि राजकीय आदेश धर्म के अनुकुल न हो तो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

न्यायिक शक्ति को तीनों ही ग्रन्थों में शासक की पवित्र शक्ति के रूप में चित्रित कर, उसके दुरूपयोग के विरूद्ध शासक को गंभीर चेतावनी दी गई है। इनमें न्यायिक शक्ति के संस्थागत व प्रक्रियावद्व संव्यवहार पर बल देते हुए, यह प्रतिपादित किया गया है कि न्यायिक कार्यों के सन्दर्भ में राजा की व्यक्तिगत स्थिति, न्यायपालिका के औपचारिक प्रधान की है। व्यवहारतः शासक से अपेक्षा की गई है किइस न्यायिक कार्यों के लिए, विद्वान न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। तीनों ही ग्रन्थों में न्यायिक कार्यों के संव्यवहार की विवेकसम्मत न्यायनिष्ठ प्रक्रिया की स्थापना पर बल दिया गया है। तीनों ही ग्रन्थों में न्यायिक प्रक्रिया की स्थापना से सम्बन्धित सभी पक्षो–वादी, प्रतिवादी, साक्षी आदि के अधिकारों से, उनके अधिकारों का सदैव आदर करने की अपेक्षा की गई है तथा इस प्रकार तीनों ही ग्रन्थों में

1.Corresponding Author

''व्यक्ति के शासन'' की अपेक्षा ''विधि के शासन'' के विचार को प्रतिष्ठित किया गया है। महाभारत व अर्थशास्त्र में शासकीय शक्ति पर संस्थागत व सैद्धान्तिक नियन्त्रणों के साथ–साथ जनमत व जनता का प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ के अनेक प्रसंगों में स्पष्ट किया है कि यदि राजकीय आदेश धर्म से असंगत है, तो जनता को राजकीय विधि की अपेक्षा धर्म से निर्दिष्ट होना चाहिये। शासकीय आचरण में निरंकुषता का निषेध करते हुए कौटिल्य ने निरंकुश शासन की तुलना में राज्यहीनता को श्रेष्ठतर स्थिति स्वीकार किया है। महाभारत में स्वीकार किया गया है कि धर्म के लिए विरूद्ध राजकीय आचरण, तथा शासक के अतिचारों को सहन करने के लिए जनता बाध्य नहीं है।

महाभारत में जनता को परामर्श दिया गया है कि यदि शासक शक्ति का निरंकुश रीति से संव्यवहार करें, तो नागरिक ऐसे शासक की अवज्ञा कर सकते है, उसका परित्याग कर सकते है, तथा उसे पदच्युत कर सकते है। यह स्पष्टीकरण प्रासंगिक है कि इस सम्बन्ध में मनु का दृष्टिकोण भिन्न है। मनु ने शासक की निरंकुशताके विचार का निषेध करते हुए शासक की शक्ति को मर्यादित करने के लिए सैद्धान्तिक व संस्थागत उपगमों पर अधिकतम निर्भर है, तथा शासक की शक्ति पर जनता के नियन्त्रण को अधिक महत्व प्रदान नहीं करें।

तीनों ग्रन्थों में शासक के व्यापक दायित्वों की पूर्ति के लिये, निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही शासक के स्वविवेक पर निर्भर नहीं बनाया गया, अपितु निर्णय–निर्माण, निर्णयों की क्रियान्विति के लिए एक सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रशासनिक प्रणाली, सुसंगठित परामर्षदात्री निकायों से विचार–विमर्श आदि को अत्यन्त आवश्यक माना गया है तीनों ही ग्रन्थों में शासक को स्पष्टतः परामर्श दिया गया है कि वह राजकीय कार्यों में परामर्शदात्री निकायों के अभिमत की अवहेलना न करें।

यह स्पष्ट है कि विधि के शासन का विचार, भारतीय चिन्तन में शब्दतः नहीं, अपितु मर्मतः अनिवार्य रूप से अन्तर्व्याप्त है। इस विचार को भारतीय ग्रन्थों ने शासक की शक्ति पर सैद्धान्तिक, संस्थागत व प्रक्रियागत मर्यादाएं आरोपित कर सुस्थापित किया है। भारतीय ग्रन्थ राजकीय शक्ति के दुरूपयोग को रोकने के प्रति, तथा किसी भी प्रकार के शासकीय अतिचार से जनता की रक्षा के प्रति पर्याप्त सचेत रहे है, तथा उन्होंने यह भली भांति प्रतिपादित किया है कि शासकीय शक्ति का संव्यवहार केवल शासक द्वारा नहीं किया जायें, राजकीय शक्ति विभिन्न निकायो, प्राधिकारियों में सामूहिक रूप में निहित मानी गयी है।

परिशिष्ट

वैदिक साहित्य : 1. ऋग्वेद2. यजुर्वेद3. सामवेद4. अर्थववेद

ब्राह्मण : ऐतरेय ब्राह्मण,2. गोपथ ब्राह्मण3. ताण्डव ब्राह्मण

उपनिषद :1. प्रशनोपनिषद्2. ऐतरेयदोपनिषद. मुण्डकोपनिषद्

धर्मसूत्रः1. विष्णु धर्मसूत्र 2. वशिष्ठ धर्मसूत्र

महाकाव्यः1. महाभारत 2. रामायण

स्मृतिः 1. कात्यादन स्मृति2. पराषर स्मृति3. मनुस्मृति4. वृहस्पति स्मृति

पुराण : 1. अग्नि पुराण2. गरूड़ पुराण3. भागवत पुराण4. विष्णु पुराण

नीति ग्रन्थः1. विदुर नीति2. शुक्रनीति

सन्दर्भ

आयंगर, के.वी.आर 1949: *ऑस्पेक्ट्स आफ द सोसल एण्ड पोलिटिकल सिस्टम ऑफ मनुस्मृति,* लखनऊ,

आयंगर, के.वी.आर.1941: *राजधर्म,* मद्रास

चतुर्वेदी, मधुकर श्याम, *प्राचीन भारत में राज व्यवस्था,* जयपुर

दास, एस.के.1921 : *ऋग्वेदिक इण्डिया,* कलकत्ता,

धर्मा, पी.सी. 1941 :*दी रामायण पोलिटी* मद्रास

दीक्षित, प्रेम कुमारी,1970: *महाभारत में राज व्यवस्था,* लखनऊ,